



*Jek Ør dk kÿ;
e/; izn'sk 'kk u/ bankÿ*

U/ wre oru , oaegxlbZHRs dh njs

दिनांक 01 / 04 / 2013 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट
www.mp.gov.in/labour पर उपलब्ध है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु दिनांक 01/04/2013
से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

❖ 35 नियोजन	पृष्ठ क्र. 01-11
❖ कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 12-15
❖ बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क्र. 16-21
❖ अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क्र. 22-29

Jek Dr dk k; / e /; ins'k 'kl u / bank

क्रमांक: 1 / 9 / अन्वे. / पांच / 2009 / 10913-11212

इंदौर, दिनांक 01-04-2013

vt/kl pouk

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष 2012	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	212
अगस्त	214
सितम्बर	215
अक्टुबर	217
नवम्बर	218
दिसम्बर	219
(औसत)	$1295 \div 6 = 216$

तथा इनका औसत 216 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 - (सी) 1-08ए-सोलह, दिनांक 30.04.2008 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30.04.2008) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।



1/2 dsl h xprk 1/2

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
सक्षम प्राधिकारी

Je vk Ør dk ky; / e; / ins'k 'kd ul bank

ifjorzi 'ky egxlbZHR's dh l x. kuk, oai qjlfkr njhcds l wak ea
fooj. Med Vhi

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30.04.2008 के पृष्ठ क्रमांक 430 से 430(20) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ - 4(सी) 1-08 ए-16 दिनांक 30-4-2008 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (जनवरी-जून 2007), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/9/अ/ पांच/2009/ 10913-11212 दिनांक 01.04.2013 के अनुसार जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 216 रहा है, तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 88 (अट्यासी) औसत बिन्दुओं की तथा गत छः माही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 203 के उपर 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 35 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25.00 (रु.पच्चीस) प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये 325/-(तीन सौ पच्चीस) प्रतिमाह की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तन मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये 2200.00 (1875+325) प्रतिमाह या रूपये 84.62 (2200÷26) प्रतिदिन दिनांक 1.04.2013 से.30.09.2013 तक देय है। (अनुसूची अ,ब,स)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूं, जो दिनांक 01.04.2013 से 30.9.2013 तक देय है।


vud ph & v

35 vud for fu; kt u esekl d , oansud oru dh njast l esiforzi 'ky egxlbZHRrk l ffefyr gā ¼/klMs: i; kaez

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें						
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन						
(दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013)							(दिनांक 01.04.2013 से 30.09.2013 तक)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3070.00	118.07	1875.00	72.12	4945.00	190.19	190.00	अकुशल	3070.00	118.07	2200.00	84.62	5270.00	202.69	203.00
3200.00	123.08	1875.00	72.12	5075.00	195.20	195.00	अर्धकुशल	3200.00	123.08	2200.00	84.62	5400.00	207.70	208.00
3350.00	128.85	1875.00	72.12	5225.00	200.97	201.00	कुशल	3350.00	128.85	2200.00	84.62	5550.00	213.47	213.00

Li "Vhdj. k&

*) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।


¼dsl h xprk ½
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

टीप :-न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 35 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।